(V) यदि निष्कर्ष में किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगे तो सक्षम अधिकारी दावेदार को आवश्यक मार्गदर्शन करते हुए दस्तावेज पूरे करने के लिए सीधे लिखा-पढ़ी करेगा। यदि दावे के आवेदन फार्म में उल्लिखित प्राधिकारियों ने आवेदन-पत्र और दस्तावेजों का साक्ष्यकंन किया हो, तो उन्हें आगे सत्यापन के लिए डाकघर निरीक्षक या डाक ओवरसियर के पास भेजना जरुरी नहीं है। साक्ष्यनकर्ता के हस्ताक्षर या सत्यापन स्थानीय शाखा पोस्टमास्टर या नायब पोस्टमास्टर कर सकता है।

III. शपथ-पत्र दावेदार की घोषणा या विधिवत् प्रतिज्ञापनः 20,000 रु० तक के दावे जिनमें कोई नामांकन नहीं है और कानूनी प्रमाण जैसे उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, इच्छा-पत्र का प्रमाण या सम्पदा का प्रशासन-पत्र नहीं दिए गए हैं — निर्धारित प्राधिकारियों की विवेकाधीन स्वीकृति के अन्दर आते हैं। इस प्रकार के दावे निर्धारित फार्म में किए जाते है। यदि दावे संबंधी कागजात पूर्ण नहीं हैं तो विभागी प्राधिकारियों द्वारा दावे और सभी संलग्न कागजात की जांच की सामान्य प्रक्रिया की बजाए सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 7 या सरकारी बचत अधिनियम, 1959 की धारा 10 अंतर्गत शपथ-पत्र पर दोवदार की घोषणा/विधिवत् प्रतिज्ञापन करने की दावेदार की सुविधा का यथास्थिति, दावे के शीघ्र निपटान के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

इसी तरीके से दावे के निपटान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सभी स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों के लाभ के लिए नीचे दी गई:—

(i) दावेदार दो का निर्धारित आवेदन-पत्र भरे और मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा आवेदन-पत्र में दिए गए सभी निकट संबंधियों का सहमति-कथन प्रस्तुत करें।

(ii) वह शपथ पत्र पर घोषणा करने या विधिवत् प्रतिज्ञापन के लिए किसी दावे स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। निम्नतम दावा स्वीकृति-दाता प्राधिकारी समयमान नायब पोस्टमास्टर होता है। दावे की राशि का विचार किए बिना, कोई भी दावा स्वीकृतिदाता प्राधिकारी शपथ/विधिवत् प्रतिज्ञापन दिला सकता है। दूसरे शब्दों में, देश में किसी स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा निपटाएं जाने वाले 20,000 रु० तक के किसी दावे के लिए समयमान पोस्टमास्टर के सामने शपथ-पत्र पर घोषणा/विधिवत् प्रतिज्ञापन किया जा सकता है।

(iii) शपथ विधिवत् प्रतिज्ञापन दिलाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

घोषणा करने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाए कि झूठी घोषणा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्राधिकारी के यह स्पष्ट करने के बाद दावेदार दावे के आवेदन-पत्र में इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान में अपना नाम और पता लिखेगा और प्राधिकारी की उपस्थिति में अपने दिनांकित हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात् प्राधिकारी उसे प्रमाणित करेगा और उस पर अपनी पदनाम की मुहर लगाएगा। उसके बाद शपथ/विधिवत् प्रतिज्ञापन को दिलाया हुआ माना जाता है।

(iv) घोषणा किए जाने के पश्चात् प्राधिकारी द्वारा, यदि वह प्राधिकारी स्वीकृतिदाता प्राधिकारी नहीं है जिसने शपथ/प्रतिज्ञापन दिलाया है, दस्तावेजों सहित दावे का आवेदन-पत्र स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। दावे की स्वीकृति सीधे स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा दी जा सकता है बशर्ते कि मृत्यु प्रमाणपत्र, सहमति कथन और अन्य कागजात व्यवस्थित हो और जमाकर्ता/धारक की मृत्यु की तारीख से तीन माह बीत गए हों। इन मामलों में आवेदन-पत्र में दिए गए निकट संबंधियों को कोई सूचना देना आवश्यक नहीं है और न ही कोई आगे जांच अपेक्षित है।

डाक वितरण प्रणाली में महिलाओं की नियुक्ति

1561. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष से देश में डाक वितरण प्रणाली में महिलाओं को नियुक्त करने के संबंध में गहन रूप से विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव में किन-किन प्रमुख प्रावधानों और सेवा-शर्तो को शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आने वाले डाकघरों में महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी;

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में गुजरात के किन-किन शहरों को शामिल किया जाएगा;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) उपयुक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Non-Payment of Licence Fee

1562. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only two companies out of the seven to whom LOI for Basic Telcom Services were issued last year, have so far paid the first instalment of licence fee;

(b) if so, the particulars of the companies which have not paid the licence fee and the reasons for the delay in payment of licence fee; and

(c) thc last date fixed by DoT for payment of licence fee and the action proposed, in case of non-payment, by that date?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) Out of the 8 companies to whom LOIs have been issued so far, only 2 companies namely, M/s Bharti Telenet Ltd. and M/s Reliance Telecom have paid the first instalment of Licence fee.

(b) Three companies namely, M/s Tata Tele services, M/s Hughes Ispat and M/s Escar Commision holding valid LOIs have not yet paid the Licence fees and raiscd certain issues. Government has made appropriate efforts to resolve these issues. Cases of remaining three companies viz., M/s HFCL Bezeq Telecom. LTD, M/s Basic Teleservices and M/s Techno Telecom are subjudice in the High Court of Delhi.

(c) The Licence fee is payable as a pre-condition to signing of the Licence Agreement.

Tender for basic Telephone Services in Rajasthan

1563. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what was the datum schedule mentioned in tender documents for basic Telephone Services which was required to be adhered to by Bidders;

(b) whether any bidder had to pay Rs. 1700 crores as fixed by Tender Evaluation Committee, as reasonable levy for Basic Telephone Services for Rajasthan then what are the minimum annual instalments as per datum schedule in the tender documents, to be paid in 15 years; and

(c) the year wise minimum NPV of Rs. 1700 crores fixed by Tender Evaluation Committee as reasonable levy for basic Telephone Service for Rajasthan by following prescribed annual payment datum schedule in the tender documents?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) The datum schedule mentioned in the tender document for Basic Telephone Services was Rs. 'Y' for first five years, Rs. '2Y' for the next five years and Rs. '4Y' for last five year where 'Y' is 1/35th of the amount of gross levy quoted by the bidder.

(b) No minimum/reasonable levy was fixed in the first round of tenders. However, reasonable levy was calculated for each year for each circle including Rajasthan by the Tender Evaluation Committee based on the annual acruals of revenue expected on the basis of demand projections. No minimum annual instalments of the reasonable levy were fixed for 15 years.

(c) No annual payment schedule of the reasonable levy was prescribed in the Tender Documents and the datum schedule referred in para (a) above does not relate to the expected levy.